6400

BIHAR

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु.

₹ 750

भारत

सात सौ पचास रुपया SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

10 DEC 1984

पटना

वादी का नाम श्री जमुना सिंह पिता का नाम स्व० श्री मधुरा सिंह निवासी ग्राम तथा पत्र थाना फुलवारी पटना थाना कुम्हरार थाना नजिमुल नगर पटना जिला पटना संख्या रुपये मात्र

प्रतिवादी का नाम श्री मति उषा देवी पति का नाम श्री दशरथ यादव निवासी ग्राम कुम्हरार वारीश खाँ के रोड पर थाना सुलतानगंज पटनाथ कुम्हरार जिला

LOKANKAN INHASTITUTE OF ...

पटना कोषागार, पटना

मूलांक ---- 815

नाम ---- श्रीमती उषा उपाध्याय

पिता/पति ---- श्री दुखरन प्रसाद

ग्राम / मह ---- कुम्हरार लहेरी (पं कैलाशपथ)

थाना ----

जिला ----





2.	क.3	शीर्षक विलेख
		गाजियाबाद विकास क्षेत्र के बालाजी वर्ष लोअर लामी (Absolute Sale deed)
	क.4	प्रतिफल
		मौखलीखा ऽऽ6ऽ.रु (नव हजार नव सौ पछहत्तर) रुपये मात्र Rs. 9975/- Nine Thousand Nine Hundred Seventy Five) only.
	क.5	प्रतिफल का प्रमाण विवरण
		हमारी दो बराबर मुद्राजी 1148ऽऽ2 (चौदह सौ चौदह दो हजार) एकजी प्रथम मात्र से एकजी कृषि योग्य भाग हमारी कायमी वसीयो अकदी एकदंशी वाले मौजा मया थक पुराना गाजियाबाद थाना कुलवारी सब दो सदर तहसील दो जिला पहना जिसका मौजी सख्या 425 (चार सौ पच्चीस) दो थाना सख्या 113 (एक सौ तेरह) दो बाता सख्या 36 (छत्तीस) दो बेशरा पर्वे प्लॉट सख्या 4 (एकगतीस) दो चालीस (क्षेत्रफल मो० 6.00 (छ)

दिनांक 18/12/2018
बही संख्या 1 जिल्द संख्या 4115
पृष्ठ संख्या 1 से 7 तक
प्रतिलिपि फीस 10
सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद

18 DEC 1998



3. अतः वे सीधा पंजीयकार बिहार सरकार पटना द्वारा अपर समाहर्ता अंचल कार्यालय दुलदाली से सीधा संबंधित अचल संपत्ति योग्य भूमि है। सम्पत्ति पटना जिला अन्तर्गत फतुहा थाना अन्तर्गत मौजा में पड़ता है जो कि मास्टर प्लान के बाहर स्थित है।

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
श्री राजेन्द्र सिंह	उनकी भूमि	आहर	श्री राधा प्रसाद
	श्री लाल के वंशज श्री खबरी सिंह		

सादर

दर्शित है कि इस विक्रय पत्र के संबंध की वांछित कार्यवाही लोकसेवी को लोकसेवी के माध्यम के नाम से बजरिये दारिमा के पालोवाल दिनांक 24-6-1976 के दारिमा सं. 6326 से

द्वितीय अवर न्यायाधीश
10 DEC 1984
पटना

४. जिला नं. ६ थाना नं. ४३१ से ४३६ पुस्तक नं. १ पटना निवेदन लोकसेवक के माध्यम द्वारा कहोसिंह निवासी मिरजुआ थाना फतुहाँ जिला पटना से लोकसभारी की गजना सिंह को हरि चरण सिंह को बाबूलाल सिंह को लालो सिंह ने कृत्य किये थे। खरीदारों की सिने से उन्हें शान्ति पूर्वक स्थित रहा उसके बाद लालो सिंह बिना पुत्र, पुत्री वो स्त्री के मायलय खेरो वारा अपने अपने पुत्र उत्तराधिकार के लड़ो चला चल सम्पत्ति के मालिक गजना सिंह लोकसभारी को हरि-चरण सिंह को बाबूलाल सिंह क्रमशः तीन परिवार रहे उसके बाद तीनो भाइयों ने बटवारा किया बाबू भाई के अनुसार विभाजन कर लिये और बाद बटवारा के पास दिखा में खरीदारी लोकसभारी को मिला जिसपर लोकसभारी शान्ति पूर्वक स्थित चला आ रहा है वो है और लोकसभारी लगान वाले बकाया आधार को वसूल करके उसके सम्बन्धित व्यवस्था करके उपयोग और उपभोग करते चले आरहे है वो हैं। इस प्रकार लोकसभारी को सम्पत्ति सम्बन्धित दस्त को अधिकार का प्रयोग अनुसार हैं लोकसभारी को बकाया आधार देय एक किस्त

10 DEC 1984

यादव जनपालचरण कुम्हरार पाराशर लोकनाथ

वादिनी रहती आया करती थी भी बैंक का = पैसा आदाय
करने थी भी यह व्यवस्था थी छुपि व्यवस्था करके
लोग थोड़ा बहुत भी धन रखे अस्पताल खाना दिने
जैसे धन की आवश्यकता है और व्यवसाय रखेंगे
की वर्णित सम्पत्ति को चिंता नहीं करते हैं व्यवसाय
सम्पत्ति का संरक्षण होना अनिवार्य है इसलिए
लोकसभा के सभी सांसद-लाभ-लाभ को अच्छी
तरह लोग समझकर वाद नं.५ की वर्णित सम्पत्ति को
चिंता के लिए लोकसभा के सदस्य बनें।

अतएव लोकसभा वर्तमान सम्पत्ति के मुख्यकी-
धिकारी थी चाहे वो व्यवसाय थी हमारे के
होकर वो रहकर आपनी थी भी वर्तमान गृहव्यवस्था
के होकर वो रहकर अपनी व्यवस्था खोने-
जिनकी व्यवस्थाओं के मानसिक तनुलंन
के लाभ आपने रहने विधो एवं आपनी व्यवहारों
के परामर्श लेकर बिना चिंता के बाहरी अनुभवि
व्यवसाय को प्रभाव को व्यवसाय को व्यवसाय तथा
अधिकारों के वाद नं.५ की वर्णित सम्पत्ति को
लोकसभा वादिनी वाद नं.२ श्री मति उषा देवी के

10 DEC 1984

10 DEC 1981

ए. सी. एम. 3-12-81

वाद मोबलीग 1166.00 (एक हजार सौ पैंसठ रु.) सभी से अलग और निरंतर तथा अविरोध रूप से गोदाम के सिक्के पर (कैपाल्टा और लाबलाभी) किए दो किराया दो बाधा और सिक्के पर का निष्पादन इकरार कबूल किया।

इसलिए कि कुल रुपये के ले मो 3000.00 (तीन हजार) रुपये में से एक बिना प्रतिफल रहन नामा परचा की शर्तानुसार रजिस्ट्री दिनांक 21-6-1964 के द्वारा जिसका कार्यालय के माध्यम तथा वकील दोनों पक्षों के हस्ताक्षरों से स्थानान्तरण की गई उसी परचा (प्लाट नं. 2 का बाकी चला आता है उस रुपये को इकरार के कुल रुपये में से मेजरा दो बिघा सरकिया दोनिका रहन गया पत्रिका नं. 1212 जिल्द नं. 1454 पृष्ठ सं. 304 से 306 है दो मोबलीग असल मौसूद मोबलीग 2460.00 (चार हजार चार सौ साठ) रुपये दिनांक 22-12-1964 को बैंक लैंड मॉरगेज बैंक का इकरार जीने वाली चला आता है उस रुपये को इकरार के जीने अलावा घोड़ा चादर के परचा लैंड मॉरगेज बैंक का रुपया आपस दो बैयाना करके बैंक के मॉरगेज

यादव, नवाला, नाथ कुम्हार, बारा का बोकरणाथ

के कब्जे बिजली करके इकरार ले लिये थे शेष
बकिया को 1425-00 (एक हजार चार सौ पच्चीस रुपये)
लीलाधारी ने इस विवाद्य भवन पर बदस्त बनाने सही
बाबत के लिये इकरार के एवज दो बीघा दीजाया।
इस प्रकार लीलाधारी का कुल रकबा पंचक दो बीघा दीजाहिये।

6. रकबे ग.प. की वर्णित जमाबंदी के जिसका मौजाखास
निशान दक्ष दो आधिकार दो स्वामित्व लीलाधारी भू-
धर्माधिकारी या उसके अधिकारियों को प्राप्त या चाहिये
होता वह कुल दक्ष दो आधिकार दो स्वामित्व रकबा
के कुल रकबे पंचक दो आधिकार दो स्वामित्व रकबा
को प्राप्त हुई थी है दो होगी। इकरार रकबे ग.प. की
वर्णित जमाबंदी के हस्तांतरणकारिणी दो स्वामिनी
बनाकर दो होकर दो रहकर जहाँ-जहाँ जमाबंदी
बंधकर की आवश्यकता इकरारा जमीन इकरारा इस
विवाद्य भवन के कब्जा जमाबंदी सरोकारों उसे
एवज लीलाधारी आधिकारियों को कोई
एतराज नहीं है या होगा।

लीलाधारी (विक्रेता) ने लीलाधारिणी (क्रेता) के
लाभ यह भी जानना प्रकट किये हैं और विश्वास
दिलाये हैं कि रकबे ग.प. की वर्णित जमाबंदी
बंधकर जमाबंदी जमाबंदी एवं अन्य संबंधित

10 DEC

यादव बैंगाली प्रसाद कुम्हरार वासीश्व वों के गवाह

Delhi Bar Association
10 DEC 1994

2. R1 सरकारी का और सरकारी = व्यवसाय उसके सहित जाफ को लाभ है सिवाय ऊपर में लिखा गया है उसके छोड़कर कोई हक नहीं है। और लेखकारी के प्रत्येक पद की वर्णित व्यक्ति को कहीं पर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है तो नहीं किये है सिवाय वर्तमान एक विशेष रहस्य व्यवसाय के अलावा किसी विशेष की उसमें हकीकत में नकल लेखकारी या प्रबंधकारी या उनके अधिकारियों के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई अति लेखकार पक्ष को उठाना पड़े या देना पड़े जिससे लेखकार सम्पूर्ण या कुछ अंश मु. नाम के लेखपत्र हो उसके तो वे दोनों दावों में लेखकार पक्ष को एक दायित्व है तो होना कि वे सभी लेखे पर 194 लिखित कारण व्यवसाय के लेखकारी या उनके अधिकारियों के अंतर्गत या व्यक्ति के लेखकार पक्ष अति की [illegible] लेखकारी या उनके व्यवसायों की कोई हेरफेर नहीं है तो नहीं होना। इस [illegible] पत्र को लिखित एक साथ में आगे और प्रमाण रहे।

दिनांक 30 (तीस) माह अगस्त 1994 ई०

यादव निवासी ग्राम कुम्हार वासीश्वर के समक्ष

Filed

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

ऑनलाइन

Running Unique No.: **0431111931**
(Receipt No.)

लगान रसीद

जिला:- **Patna**	अंचल:- **Sampatchak**
हल्का:- **KANAUJI KACHHUARA**	मौजा :- **नया चक**
जमाबंदी सं0:- **104** भाग वर्तमान:- **1** पृष्ठ संख्या:- **2884**	मौजा/थाना सं0:- **113**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **उषा देवी** अभिभावक का नाम:- **दशरथ यादव**	पता:- ,

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
36	41	0 एकड़ 37.82813 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	50.00	50.00	50.00	0.00	100.00	2017-2018 से 2018-2019
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	72.50	72.50	72.50	0.00	150.00	2017-2018 से 2018-2019
कुल	122.50	122.50	122.50	0.00	250.00	2017-2018 से 2018-2019

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	50.00	50.00	100.00	2017-2018 से 2018-2019	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	72.50	72.50	150.00	2017-2018 से 2018-2019	
कुल	122.50	122.50	250.00	2017-2018 से 2018-2019	

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Two Hundred Fifty Rupees

कुल बकाया-250.00

तिथि- **26-02-2019**

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

LOKANKAR INFRASTRUCTURE DEVELOPERS PVT. LTD.

Director

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

186
24.5.13

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

नाम ग्राम

थाना जिला

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकवा	
				एकड़	डि0
		36	41		

आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय का मुहर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर